गैर-सरकारी एजेंसी को विज्ञापनों हेतु ठेका दिया जाना

*123. **मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक-तार विभाग ने समाचार-पत्रों में अपने विज्ञापन प्रकाशित करने के लिये इसका का किसी गैर-सरकारी एजेंसी को दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के होते हुए ऐसा कदम उठाने के क्या कारण हैं;

(ग) गैर-सरकारी एजेंसी को ठेका दिये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश क्या हैं;

(घ) इस एजेंसी के माध्यम से जिन समाचार-पत्रों में डाक-तार विभाग के विज्ञापन प्रकाशित होंगे, उनकी सूची कौन तैयार करेगा;

(ङ) उन समाचार-पत्रों के भाषा-वार नाम क्या हैं जिनमें वर्ष 1993-94 के दौरान इस एजेंसी के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित हुए ; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से वर्ष-वार तथा भाषा-वार कितने-कितने मूल्य के विज्ञापन प्रकाशित हुए ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) डाक विभाग तथा दूरसंचार विभाग ने अपने विज्ञापनों को समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवाने के लिए किसी प्राइवेट एजेंसी से कोई करार नहीं किया है। तथापि, डाक विभाग तत्काल आवश्यकता या रंगीन विज्ञापनों के मामलों में विशिष्ट कार्यों के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने वाली प्राइवेट एजेंसियों की सेवाएं लेता है। दूरसंचार विभाग की कई बार तत्काल आवश्यकता वाले मामलों में डी० ए० वी० पी० की दरों पर सीधे ही समाचार-पत्रों को विज्ञापन भेजता है तथापि, कभी-कभी ये विज्ञापन, प्राइवेट एजेंसियों के साथ कोई करार किए बिना, उसके माध्यम से भी प्रकाशित कराए जाते है।

(घ) और (ङ) यदि विज्ञापन ग्राम-श्वेत हो तो सामान्यता विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए समाचार-पत्रों की सूची डी० ए० वी० पी० द्वारा तैयार की जाती है तथा इसे विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तथापि, उन समाचार-पत्रों की सूची प्रस्तुत करना व्यवहार्य नहीं है जिनमें 1993-94 के दौरान किसी विशेष एजेंसी के जरिए विज्ञापन प्रकाशित करवाए गए थे क्योंकि इस एजेंसी का नाम नहीं बताया गया है।

(च) डाक विभाग ने प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से 1992-93 में 68,07,900/- रु० तथा 1993-94 में 53,56,060/- रु० के विज्ञापन रिलीज किए थे। इस संबंध में 1991-92 की सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी। जहां तक दूरसंचार विभाग का संबंध है, 3 वर्षों अर्थात् 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 की सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Reduction in import duty on gold

*125. SHRI G. G. SWELL:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that international bullion merchant guides and associations have estimated gold import in India;

(b) if so, what are their estimates and observations;

(c) what was the quantum of legally imported gold in India through NRIs and jewellers during the last year;

(d) whether it is also a fact that still there is large quantum of gold, almost 122 tonnes being imported in clandestine manner, compared to legally imported gold; and

(e) whether Government would consider reduction in import duty on gold to curb smuggling drastically?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) and (b) Gold Fields Mineral Services Ltd., London have estimated the total imports of gold into India during the year 1993 as 257 tonnes.

(c) During 1993, import of gold by NRIs as baggage amounted to 116.16 tonnes and for jewellery exporters, the amount of import was 26.16 tonnes.

(d) Smuggling being a clandestine activity, it is not possible to quantify the gold being smuggled.

(e) There is no such proposal under consideration of the Government at present.

विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन

*126. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री वीरेन जे० शाह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1993 में सरकार द्वारा राज्य सरकारों के विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस सम्मेलन में देश में पेश आ रही बिजली की समस्या का समाधान करने हेतु कतिपय निर्णय भी किए गए थे;

(ग) यदि हां, तो वे निर्णय क्या-क्या थे;

(घ) क्या उन निर्णयों को कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके कार्यान्वयन की प्रगति का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : निवल अचल परिसम्पत्तियों पर निर्धारित सांविधिक 3 प्रतिशत की आय की दर को प्राप्त करने के उद्देश्य से इस सम्मेलन में राज्य बिजली बोर्डों (एस.ई.बी) के कार्य निष्पादन के निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं को समाहित करने वाली एक कार्य-योजना अपनाई गई थी :—

(1) संयंत्र भार अनुपात में सुधार;
(2) पारेषण तथा वितरण हानियों में कमी;
(3) टैरिफ का यौक्तिकरण;
(4) राज्य बिजली बोर्डों की बकाया राशियों का समायोजन;
(5) उपलब्ध विदेशी सहायता का त्वरित रूप से समुपयोजन; और
(6) विद्युत के उत्पादन तथा वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

(घ) और (ङ) इन सुझावों को क्रियान्वित किए जाने की कार्रवाई सम्बन्धित राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा की जाती है तथा भारत सरकार इस पर नियमित रूप से कार्रवाई कर रही है। इन निर्णयों के क्रियान्वयन की प्रगति के ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण दिया गया है।

विवरण

विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की प्रगति का ब्यौरा

1. राज्य बिजली बोर्डों के संयंत्र भार अनुपात में सुधार : राज्य बिजली बोर्डों के संयंत्र भार अनुपात में सुधार